न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 68/2020 — निर्णय दिनांकः 23.7.2021

ONLINE NO. 2020/00134

मदनलाल पुत्र ठाकरमल जाति ब्राहम्मण निवासी दीपसर तहसील रतनगढ जिला चुरू
—वादी—

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्मण निवासी सुजानगढ जिला चुरू
2. तहसीलदार श्रीडूंगरगढ

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उपस्थित

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वादी की और से श्री कैलाश सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी स्वंय उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी ने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामें के अनुसाण में डिक्री जारी की जावे। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.11.2019 के द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा बेणीसर तहसील श्रीडूंगरगढ के खेत खसरा नम्बर 453 तादादी 11.92 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 641/453 व खसरा नम्बर 642/453 हुए है के पूर्व का हिस्सा अपीलान्ट मदनलाल को व पश्चिम का हिस्सा रेस्पोडेन्ट ओमप्रकाश को देना तय किया गया है। प्रकरण राजीनामें के अनुसरण में निष्पादित किये जाने हेतु इस निर्देश कि साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि राजीनामें को पक्षकारों की उपस्थिति में तस्दीक करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन की डिक्री पारित करे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी को राजीनामें के अनुसार वाद को स्वीकार करनें में कोई आपति नही होने के कारण वादी वाद स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 453 तादादी 11.92 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 641/453 व खसरा नम्बर 642/453 हुए है के पूर्व की तरफ का हिस्सा तादादी 4.55 हैक्टेयर वादी मदनलाल को व पश्चिम की तरफ का हिस्सा तादादी 7.37 हैक्टेयर प्रतिवादी ओमप्रकाश की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए तदानुसार आने—जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए नक्शा तरमीम करे। डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 23.7.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हों। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

मदनलाल पुत्र ठाकरमल जाति ब्राहम्मण निवारी दीपसर तहसील रतनगढ जिला चुरू

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्मण निवारी सुजानगढ जिला चुरू।
2. तहसीलदार श्रीडूंगरगढ
दावा बाबत विभाजन
मुकदमा नम्बर 68/2020
निर्णय दिनांकः 23.7.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूब्रू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 453 तादादी 11.92 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 641/453 व खसरा नम्बर 642/453 हुए है के पूर्व की तरफ का हिस्सा तादादी 4.55 हैक्टेयर वादी मदनलाल को व पश्चिम की तरफ का हिस्सा तादादी 7.37 हैक्टेयर प्रतिवादी ओमप्रकाश की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए तदानुसार आने-जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए नक्शा तरमीम करे।

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है. में	किस्म	लगान
1	मदनलाल पुत्र ठाकरमल जाति ब्राहम्मण निवासी दीपसर तहसील रतनगढ जिला चुरू	641/453 व 642/453 (पूर्वी हिस्सा)	4.55	बारानी	
		किता 2	4.55	बारानी	
2	ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्मण निवासी सुजानगढ जिला चुरू।	641/453 व 642/453 (पश्चिमी हिस्सा)	7.37	बारानी	
		किता 2	7.37	बारानी	

तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें ।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह 07 सन् 2021 को जारी किया गया

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल			0
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)